राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस, जयपुर 302001, कार्यालय दूरभाष : 0141–2374644

क्रमांकः मुख्या/याता/संचा./2021/143 दिनांक 20/09/2021

जोनल मैनेजर/मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
....

विषयः– राजस्थान अध्यापक पात्रता (REET) 2021 परीक्षा में परीक्षार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 बिन्दु संख्या–59 के अनुसार निःशुल्क यात्रा कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक मुख्या/याता/संचालन/2021/139 दिनांक 15.09.2021.

इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक मुख्या/याता/संचालन/2021/139 दिनांक 15.09.2021 (संलग्न–1) **की निरन्तरता में** निगम के समस्त जोनल मैनेजर एवं मुख्य प्रबन्धकों को निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैंः–

1. जैसा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 15.09.2021 में स्पष्ट कर दिया गया है, राज्य में दिनांक 20.09.2021 समय 00.00 बजे से 30.09.2021 समय 24.00 बजे तक निगम वाहनों का बेड़ा (निगम वाहन + निगम द्वारा अनुबन्धित वाहन) राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी (जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष हैं) के मार्गदर्शन में संचालित रहेगा।
2. समस्त मुख्य प्रबन्धक एवं जिला परिवहन अधिकारी (DTO) जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य हैं; अतः इन सभी से अपेक्षा की जाती है कि अभ्यर्थियों को यातायात हेतु **आवश्यकतानुसार स्थाई/अस्थाई बस स्टेण्ड हेतु कार्यवाही उनके द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ही सम्पन्न की जावेगी।**
3. समस्त मुख्य प्रबन्धकों से अपेक्षा की जाती है कि यात्री सुविधाओं एवं वाहन मरम्मत की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यथासम्भव निगम की बसों के ठहराव एवं अतिरिक्त बसों की व्यवस्था स्थाई बस स्टेण्ड स्तर पर ही हो, जिससे आगार में उपलब्ध संसाधनों यथा उद्घोषणा प्रणाली, बुकिंग विन्डो, मानव श्रम आदि का अधिकाधिक उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों को बेहतर ढंग से निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें। **फिर भी आवश्यकतानुसार जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा निर्धारित अस्थाई बस स्टेण्ड पर निगम वाहनों का संचालन/ठहराव किया जा सकेगा।**
4. सभी मुख्य प्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे यथासम्भव जिला प्रशासन/जिला परिवहन अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करें कि अस्थाई बस स्टेण्ड, रोडवेज के बस स्टेण्ड के आस पास होना चाहिए, अथवा रोडवेज के अस्थाई बस स्टेण्ड एवं प्राइवेट बसों के अस्थाई बस स्टेण्ड एक दूसरे के आस–पास होने चाहिए, ताकि जिन अभ्यर्थियों को निगम के वाहनों में जगह नहीं मिले वे तुरन्त ही निजी अस्थाई

Scanned with CamScanner

बस स्टेण्डों से यात्रा कर सकें जिससे अनावश्यक रूप से अभ्यर्थियों का मूवमेन्ट ना हो, एवं **आम जनता को भी अभ्यर्थियो के मूवमेन्ट के कारण परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।**

5. परीक्षा के दिनों में आमजन एवं अभ्यर्थियों के बीच वाहनों में सीट को लेकर टकराव नहीं हो, इस हेतु निगम प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **दिनांक 24.09.2021 समय 00.00 बजे से साधारण, द्रुतगामी एवं सेमीडीलक्स बसों में दिनांक 28.09.2021 समय 24.00 बजे तक ऑन लाईन बुकिंग सुविधा आमजन के लिए बन्द रहेगी।** सभी आगार प्रबन्धक ऑनलाइन टिकिट बुकिंग व्यवस्था बंद रहने से निगम को होने वाली अतिरिक्त हानि का आंकलन पृथक से करें, ताकि निगम अभ्यर्थियों की निशुल्क यात्रा के पुनर्भरण की राशि की मांग के साथ इस अतिरिक्त हानि के पुनर्भरण की मांग भी राज्य सरकार से कर सके।
6. **आवश्यकतानुसार ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों का परिवहन हो सके, इस हेतु 24.09.2021 समय 00.00 बजे से दिनांक 28.09.2021 समय 24.00 बजे तक निगम की स्टारलाईन (सेमी–डीलक्स) बसों को भी द्रुतगामी बसों के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा।**
7. राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह निःशुल्क सुविधा केवल साधारण, द्रुतगामी एवं द्रुतगामी बसों के रुप में उपयोग में ली जा रही स्टारलाईन (सेमी–डीलक्स) बसों में ही लागू होगी। **यह निःशुल्क सुविधा निगम की डीलक्स/ए.सी./स्लीपर/लग्जरी वाहनों में देय नहीं होगी।** अतः जिला स्तरीय समिति से अनुरोध है कि यथासम्भव निगम की डीलक्स/ए.सी./स्लीपर/लग्जरी वाहनों का उपयोग अभ्यर्थियों के परिवहन में नहीं किया जावे।
8. निगम द्वारा इस परीक्षा हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा 20.09.2021 समय 00.00 बजे से 30.09.2021 समय 24.00 बजे तक प्रदान कर दी गई है। **सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि परीक्षा के समय भीड़–भाड़ से बचने के लिए उनके द्वारा रवानगी यात्रा परीक्षा तिथि से पांच दिन पहले से एवं वापसी यात्रा परीक्षा तिथि से पांच दिन बाद तक की जा सकती है।** अतः अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा से पूर्व की इस पांच दिवस की अवधि में अपने परीक्षा केन्द्र के गन्तव्य स्थान हेतु जल्दी से जल्दी यात्रा का प्रयास करें, जिससे कोई भी अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित ना हो एवं परीक्षा उपरान्त आगामी पांच दिवस में यथासम्भव विलम्ब से वापसी यात्रा करें जिससे भीड़–भाड़ रहित सुविधाजनक यात्रा सम्भव हो सके।

   अभ्यर्थियो की भारी संख्या को देखते हुए आमजन से अनुरोध किया जाता है कि उनके द्वारा उपरोक्त अवधि में अत्यावश्यक एवं जरुरी यात्रा ही निगम की वाहनों में की जावे।
9. **दिनांक 24.09.2021 से 28.09.2021 तक जो ऑनलाईन रिजर्वेशन साधारण, द्रुतगामी एवं स्टारलाईन (सेमी–डीलक्स) बसों में हो गये हैं वे अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किये जा रहे है।** इस राशि को लौटाये जाने की व्यवस्था अलग से निगम की आई.टी. शाखा द्वारा किया जाना सुनिश्चित की जा रही है। सभी आगार प्रबन्धक इस सम्बन्ध में भी निगम को होने वाली अतिरिक्त हानि का आंकलन करें,

Scanned with CamScanner

ताकि निगम अभ्यर्थियों की निःशुल्क यात्रा के पुनर्भरण की राशि की मांग के साथ इस अतिरिक्त हानि के पुनर्भरण की मांग भी राज्य सरकार से कर सके।

इस दौरान निगम की डीलक्स, एसी, स्लीपर एवं सुपर लग्जरी में रिजर्वेशन व्यवस्था जारी है एवं यात्री यथावत यात्रा कर सकते है, क्योंकि उक्त बसों में अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देय नहीं है।

10. रोडवेज मुख्यालय स्तर पर कार्यकारी निदेशक (यातायात), कार्यालय टेलीफोन नम्बर 0141-2374644 एवं ई–मेल RSRTC.EDT@GMAIL.COM इस सम्बन्ध में सम्पर्क हेतु निश्चित किये जाते हैं।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(लोकेश) 20/9

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः मुख्या/याता/संचा./2021/143 — दिनांक 20/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. परिवहन निगम, जयपुर।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार।
9. समन्वयक एवं सचिव, अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष..राज0 परिवहन निगम, जयपुर।
11. समस्त जिला परिवहन अधिकारी, राजस्थान सरकार।
12. समस्त महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक(   ), राज0 परिवहन निगम............
13. निगम सचिव, राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
14. समस्त उप महा–प्रबन्धक (   ), राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
15. उप महा–प्रबन्धक, आईटी, राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर अपलोड कराना एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क/संचालन), राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।

(लोकेश) 20/9

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस, जयपुर 302001

कार्यालय दूरभाष : 0141–2374644 Email address :rsrtc.cdt@gmail.com

कमांक:मुख्या / याता / संचालन / 2021 / 139 दिनांक 15/09/2021

जोनल मैनेजर / मुख्य प्रबंधक,
राजस्थान पथ परिवहन निगम,
..............................जोन / आगार।

विषयः– राजस्थान अध्यापक पात्रता (रीट) 2021 परीक्षा में परीक्षार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार निःशुल्क यात्रा कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग के पत्र क्रमांक प.7(13) प्राशि / आयो. / 2019 पार्ट दिनांक 06.09.2021 के क्रम में।

राजस्थान अध्यापक पात्रता (रीट) 2021 परीक्षा के सफल आयोजन के लिए माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 03.09.2021 को आयोजित की गई थी।

2. इस बैठक के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के द्वारा उक्त परीक्षा के संचालन हेतु जिला स्तरीय रीट परीक्षा संचालन समिति का गठन जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें जिला परिवहन अधिकारियों एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबन्धक गणों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

3. उक्त संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके आगार में उपलब्ध वाहन बेडे (निगम वाहनों व अनुबंधित वाहनों) की सूचना जिला स्तरीय रीट परीक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष (जिला कलक्टर) महोदय को उपलब्ध करावें एवं दिनांक 20.09.2021 से 30.09.2021 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा हेतु जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार निगम के वाहनों का संचालन करना सुनिश्चित करें।उक्त अवधि के दौरान आगार के दैनिक संचालित परिचक्रों में परिवर्तन के सम्बन्ध में जिला कलक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिये जाते है तो ही परिचक्रों में परिवर्तन किया जावे।

4. यदि निगम के वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों की व्यवस्था की जानी है, तो इसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोई भूमिका नहीं है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था जिला परिवहन अधिकारी के स्तर से राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति / जिला स्तरीय समिति के निर्देशानुसार की जानी है।

(लोकेश) 15/9/21

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

कमांक:मुख्या / याता / संचालन / 2021 / 139 दिनांक 15/09/2021

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वंतत्र प्रभार), राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पथ परिवहन निगम जयपुर।
7. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समन्वयक, रीट 2021 एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
10. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।

(लोकेश) 15/9

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner

(संलग्न - 1)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ–4/मु./याता/लेखा (58)/2021/1272 दिनांकः– 03/09/21

जोनल मैनेजर /मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
.... आगार।

विषयः– दिनांक 26.09.2021 को आयोजित रीट–2021 परीक्षा में परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के सम्बन्ध में ।

सदर्भः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा–58/2021/1147 दिनांक 16.4.2021

विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021–2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(5) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहमति के क्रम में दिनांक 26.09.2021 को आयोजित होने वाली REET-2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी है।

इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते है:–

1. REET-2021 की परीक्षा दिनांक 26.09.2021 को दो सत्रों में प्रातःकालीन सत्र में प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे के मध्य एवं सांयकालीन सत्र में 02.30 बजे से 05.00 बजे के मध्य आयोजित होगी।
2. **इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक जाने हेतु दिनांक 20.09.2021 को 00:00 बजे से 26.09.2021 तक देय होगी एवं परीक्षा उपरान्त केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक वापसी हेतु 26.09.2021 को सायं 05:00 बजे से दिनांक 30.09.2021 को 24:00 बजे तक उपलब्ध होगी।**
3. बस यात्रा का उद्धेश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
4. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
5. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकिट लेकर यात्रा करनी होगी।
6. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियो को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकिट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकिट बनाया जा सकें।
7. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा।
8. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यात्रा का उद्धेश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(लोकेश कुमार सहल) 3/9/21
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner

क्रमांकः–एफ–4/मु./याता/लेखा (58)/2021/ 1272 दिनांकः– 03/09/21

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समन्वयक एवं सचिव, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)–2021, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ( ), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. समस्त महाप्रबन्धक/संयुक्त महाप्रबन्धक ( ), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. निगम सचिव, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. उप महाप्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/टिकिट/अंकेक्षण), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
9. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम ....।
11. कार्यकारी प्रबन्धक,(जनसम्पर्क/संचालन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
12. आदेश पत्रावली।

3/9

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner